

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/ए-575/18/

दिनांक:—

आदेश

श्री आनन्द कुमार, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशवरायपाटन (बूंदी) का निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 27.02.16 से दिनांक 30.03.16 तक :-33 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (03 दिवस) की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—sd—

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/ए-575/18/807

दिनांक:—04/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ~~बूंदी~~।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।